न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—301/2009/223 (2009/00010)

1. जगदीश पुत्र कानानाथ, जाति जोगी, निवासी छाबड़िया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. बैजनाथ पुत्र कानानाथ, जाति जोगी, निवासी छाबडिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्योजीनाथ पुत्र बद्रीनाथ (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— महावीर पुत्र श्योजीनाथ,
   जाति योगी निवासी गांव छाबडिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. रामेश्वरनाथ पुत्र हजारीनाथ,
4. गोपालनाथ पुत्र हजारीनाथ,
5. श्रीमती सीता पुत्री हजारीनाथ,
6. श्रीमती रामकन्या पुत्री हजारीनाथ,
7. श्रीमती शान्ति पुत्री हजारीनाथ,
8. श्रीमती सजनी पुत्री कानानाथ,
9. श्रीमती मथुरा पुत्री कानानाथ,
10. श्रीमती पारसी पुत्री कानानाथ,
    उपरोक्त सभी जाति जोगी, निवासी ग्राम छाबडिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 28.10.2009 अंतर्गत वाद संख्या 47/2001.

उपस्थितः—

1. श्री मृणाल शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री बी0एल0शर्मा एवं श्री आर0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1.
3. सुजाता सागर, वकील तरतीबी रेस्पो0 संख्या 8 से 10.
4. रेस्पो0 संख्या 3 से 7 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम

कणोज, तहसील केकड़ी में स्थित कृषि भूमि अपीलांटस व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि है जिसके खसरा संख्या 111 रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 374/23 का रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 408/1 का रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 779 का रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 781 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 826/2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसमें अपीलांटस प्रतिवादीगण के पिता कानानाथ का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 1 वादी के पिता बद्रीनाथ का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण के पिता हजारीनाथ का 1/3 हिस्सा है लेकिन राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 संख्या 1 /वादी का 1/2 हिस्सा त्रुटि से दर्ज हो गया और शेष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 हजारीनाथ के वारिसान अपीलांटस के नाम 1/4 दर्ज हो गया जिसका अनुचित लाभ उठाने की नियत से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 श्योजीनाथ ने 1/2 हिस्सा विभाजन का वाद प्रस्तुत जिसका अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जिस पर तनकियात कायम की जाकर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर लेकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2009 को पारित करते हुए वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के वाद को स्वीकार कर विभाजन के प्रस्ताव पेश करने हेतु तहसीलदार, केकड़ी को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बयानात व दस्तावेजात जिसमें बख्तावर नाथ के हजारीनाथ उसके दत्तक पुत्र के रूप में ताजिन्दगी उसके पास रहा और उसके मरने पर किया–कर्म बाहरवां, पगड़ी बांध कर जात बिरादरी रस्म के अनुसार किया जिससे वादग्रस्त आराजी में रेस्पो0 संख्या 1/वादी का 1/3 हिस्सा ही बनता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात पर अपीलांटस व रेस्पो0 अपने बाप–दादो के समय से ही 1/3 हिस्सा पर काबिज काश्त है, जिसके अनुसार ही गोद जाने से वादी/रेस्पो0 श्योजीनाथ के पिता बद्रीनाथ को 1/3 हिस्सा दिया गया और उसने अपनी पूरी जिन्दगी में 1/3 हिस्से से अधिक हिस्सा होने का कोई उजर ऐतराज दावा नहीं किया केवल मात्र त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज इंद्राज की आड़ में अनुचित लाभ उठाने की नियत से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 श्योजीनाथ ने दावा किया जिसकी नोयत को समझे बिना ही विधि प्रावधानों के विपरीत वाद डिक्री किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाबदावे के कथनों के समर्थन में शपथ पत्र व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिसमें हजारी नाथ को गोद जाना स्वीकार किया है तथा वादी के साक्षियों ने भी जिरह में हजारीनाथ को गोद जाना बताया है । इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री पारित की है । रेस्पो0 संख्या 1/वादी के पिता तीन भाई थे, जिसमें जगन्नाथ उर्फ बख्तावरनाथ व बद्रीनाथ तथा केसर नाथ थे, जिनके नाम अंतिम चौसाला जमाबंदी में बहिस्सा बराबर बराबर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है लेकिन बिना किसी आधार के उपरोक्त राजस्व अभिलेख में केवल दो व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज करना त्रुटिपूर्ण है जब तक कि सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं हो, ना ही कोई फौती विरासत का दाखिल खारिज किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत का आदेश पारित किया गया हो । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को

नजरअंदाज कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी में रेस्पो0 संख्या 1/वादी का 1/3 हिस्सास तथा अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 का 2/3 हिस्सा घोषित करते हुए तदानुसार राजस्व अभिलेख में इंद्राज दुरूस्त किया जाकर इसी अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार, केकड़ी को विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार भिजवाये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2017 पेज 189, आर0बी0जे0 2016 पेज 303, आर0आर0डी0 1969 पेज 231, आर0बी0जे0 2020 पेज 8, ए0आई0आर0 1960 पेज 100 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2019 पेज 180 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में बरवक्त दावा के समय की जमाबंदी संवत् 2058 वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं इसी आधार पर वादी ने बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया था । यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बरवक्त दावा दायरी के समय की जमाबंदी के आधार पर ही बंटवार किया जावेगा । अधी0न्याया0 ने विधिवत् रूप से वादी का वाद स्वीकार किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि सजरे के अनुसार जगन्नाथ उर्फ बख्तावरनाथ लाऔलाद फौत हो जाने से उसके भाई बद्रीनाथ व केसरनाथ के नाम वादग्रस्त आराजी का अंकन किया गया । वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2058 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है । अपीलांटस ने उनके कथनों के समर्थन में कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है । बिना गोदनामे के गोद जाना नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष कोई काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया । यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना प्लीडिंग के अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । धारा 140 राज0भू–राजस्व अधि0 के अनुसार जमाबंदी की सत्यता को जब तक असत्य साबित नहीं कर दिया जावे तब सत्य मानी जावेगी । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2012 पेज 152 मिश्रीलाल बनाम सावित्री देवी, डी0एन0जे0 2021 रेवेन्यू पेज 89, आर0आर0डी0 1988 पेज 143 हेड नोट–सी के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर विवादित आराजियात में स्वंय का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का संयुक्त 1/4 हिस्सा होने का कथन कर बंटवारे किये जाने का निवेदन किया है । विवादित भूमि के मूल खातेदार लक्ष्मणनाथ थे जिनके तीन पुत्र केसरनाथ, जगन्नाथ एवं बद्रीनाथ थे । इनमें से जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मणनाथ के नाऔलाद फौत होने से मूल खातेदारी लक्ष्मणनाथ की आराजियात शेष दो भाईयों केसरनाथ एवं बद्रीनाथ में निहित हुई । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2042 ग्राम ग्राम कणोज के खाता संख्या नया 20 पुराना 16 के खसरा संख्या 111, 374/3, 408/1 779, 781 एवं 826/2 के खातेदार केसरनाथ, बद्रीनाथ पि0 लक्ष्मणनाथ कौम जोगी सा0देह खातेदार दर्ज है । इसी जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 10.10.1997 से मृतक बद्रीनाथ

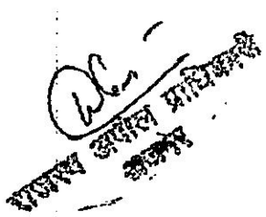

के बजाय उसके वारिसान श्योजीनाथ पि0 बद्रीनाथ जोगी के नाम पर अंकन स्वीकार किया गया है । उक्त जमाबंदी से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता बद्रीनाथ का 1/2 हिस्सा अंकित है तथा शेष 1/2 हिस्सा केसरनाथ पि0 लक्ष्मणनाथ के नाम दर्ज था । वाद में दर्शाये सजरे अनुसार केसरनाथ के तीन पुत्र भूरानाथ, कानानाथ एवं हजारीनाथ हुए जिनमें से भूरानाथ नाऔलाद फौत हो गया । कानानाथ पुत्र केसरनाथ के विधिक वारिसान अपीलांटस/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 है तथा हजारीनाथ के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 6 है । इस प्रकार विवादित आराजियात में केसरनाथ के 1/2 हिस्से में अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 का 1/4, 1/4 हिस्सा ही निहित होता है । प्रतिवादी/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में यह कथन किया है कि बख्तावरनाथ नाऔलाद फौत हो गया था जिसके प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पति स्व0 हजारीनाथ गोद गया है जिससे विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलांटस का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/3 हिस्सा है । अपीलांटस ने हजारीनाथ के बख्तावर के गोद जाने के संबंध में गोदनामा पेश नहीं किया है । हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेन्टिनेंस एक्ट 1956 के अनुसार पंजीकृत गोदनामे के बिना खातेदारी का अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस ने हजारी के गोद जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । गोद के बिन्दु को निर्धारित करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । अपीलांटस सिविल न्यायालय से गोदीपुत्र की घोषणा के बिना केवल मात्र कथनों के आधार पर अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे का वाद पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे की आज्ञाप्ति पारित की है । अपीलांट ने अपील में राजस्व रिकार्ड में हिस्से के संबंध में जो उज्र उठाये है उस संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2009 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः— **श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.**

जगदीश पुत्र कानानाथ जाति जोगी निवासी छाबड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

श्योजी नाथ पुत्र बद्रीनाथ (मृतक) जरिये वारिसान 1/1 महावीर पुत्र श्योजीनाथ जाति योगी निवासी गॉव छाबड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर व अन्य ।

— — —

अपील संख्या 301/2009 (2009/00010) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी मुंबर्खे 28 माह 10 सन् 2009, प्रकरण संख्या 47/2001,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 03 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री मृणाल शर्मा वकील मिनजानिब अपीलांट,व श्री बी.एल.शर्मा एवं श्री आर.पी.शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, सुजाता सागर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 10 श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 (राजकीय अभिभाषक) समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:— **अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2009 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक—X— रूपये—X—. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का—X— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 03 माह 09 सन् 2021 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मोहर

अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुक्मनामा	—		3.इजराय हुक्मनामा	—	
4.वकील फीस बाबत्	—		4.महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।